

फार्म-क

‘आवेदन पत्र’

मत्स्य पालकों को दी जाने वाली सहायता हेतु।

मैं सपुत्र/सपुत्री/पत्नी श्री,
निवासी, डाकघर, तहसील,
जिला, हिमाचल प्रदेश का निवासी हूँ। मैं कुल रकवा
..... बीघा, विस्वा जमीन का मालिक हूँ।

मैं **केन्द्रीय क्षेत्रीय स्कीम** नीली कान्ति के अन्तर्गत तालाब निर्माण/सुधार/, रेसवेज, हैचरी, मत्स्य एकत्रीकरण केन्द्र तथा बर्फ के कारखाने का निर्माण करना चाहता/चाहती हूँ। इसलिए मुझे उक्त निर्माण कार्य के लिए सहायता प्रदान की जाए।

ऊपर लिखित कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता के अतिरिक्त जो खर्च होगा उसे मैं अपनी जेब से खर्च करूंगा/ करूंगी या बैंक ऋण के रूप में मुबलिंग रुपये मात्र नियमानुसार प्राप्त करने के लिए मैंने प्रार्थना पत्र दे दिया है। अतः आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इस कार्य में मेरी सहायता करें।

दिनांक:-

प्रार्थी

घोषणा पत्र

मैं सपुत्र/सपुत्री/पत्नी श्री, निवासी
....., डाकघर, तहसील, जिला,
हिमाचल प्रदेश यह घोषणा करता हूँ कि अभी तक मत्स्य पालन योजना के अन्तर्गत कोई सहायता प्राप्त नहीं की है/ ट्राऊट युनिट/है0
तालाब निर्माण/सुधार हेतु विभाग सेयोजना के अन्तर्गत
.....वित्तीय सहायता प्राप्त की है।

दिनांक:-

प्रार्थी

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि प्रार्थी सपुत्र/सपुत्री/पत्नी
..... निवासी, डाकघर, तहसील,
जिला, हिमाचल प्रदेश को बीघाविस्वा भूमि
मलकीयत गांव में है। जिसमें बीघा भूमि सिंचित
है। प्रार्थी इस इलाके का कृषक है।

तसदीक कर्ता

पटवारी

मैं सिफारिश कर्ता हूँ कि प्रार्थी ने जिस कार्य के लिए आवेदन दिया है
वह उसकी आर्थिक हालत सुधारने के लिए ठीक है। इस के लिए प्रार्थी को मु० ...
..... रुपये धनराशि लगेगी। सम्बन्धित प्रपत्र संलग्न है। इसलिए प्रार्थी को
मु०रुपये सहायता के रूप में मत्स्य पालन योजना के अधीन
दिए जाऐ।

दिनांक:-

वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/
मत्स्य अधिकारी/विस्तार अधिकारी।

मैं सिफारिश करता हूँ और प्रार्थना पत्र स्वीकृति हेतु सहायक निदेशक
मत्स्य, मण्डल, जिला, हिमाचल प्रदेश को प्रेषित है।

दिनांक:-

वरिष्ठ मत्स्य अधिकारी/
मत्स्य अधिकारी/विस्तार अधिकारी

मैंने प्रार्थना पत्र की पूर्णतः जांच कर ली है। प्रार्थी कृषक
श्री/ श्रीमति सपुत्र/सपुत्री/पत्नी निवासी,
डाकघर....., तहसील, जिला, हिमाचल प्रदेश
को केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत नीली क्रान्ति हेतु भारत सरकार द्वारा जारी
मार्ग दर्शिका में दर्शाए गए प्रावधानों के अनुसार निर्माण हेतु
80प्रतिशत अनुदान सहायता के रूप में मु०रुपये स्वीकृत किये
जाते हैं।

दिनांक:-

सहायक निदेशक मत्स्य,